(129)

न्यायालय समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.

प्र0कं0......./निगरानी/14-15

नि0 / 3321 / PBR/15

चाणक्य कौटिल्य संस्थान द्वारा वर्तमान
अध्यक्ष-शिशिर खरे आ. श्री गोपीलाल खरे
निवासी जी-2/194, गुलमोहर कालोनी भोपाल.

.............आवेदक

विरूद्ध

01. **अरूण प्रताप सिंह परिहार** आ. श्री एस.एस. परिहार निवासी-316, रचना नगर भोपाल.
02. **म.प्र. शासन द्वारा ग्राम राजस्व निरीक्षक**

................अनावेदकगण

:: निगरानी अंतर्गत धारा-50(1) म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ::

महोदय,

सेवा में यह निगरानी श्रीमान् नायब तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल द्वारा प्रकरण कं. 170/अ-12/09-10 में की गई कार्यवाही, पारित आदेश दिनांक 07.05.10 से परिवेदित होकर ज्ञान दिनांक से अंदरम्याद प्रस्तुत हैं :-

:: प्रकरण के तथ्य ::

प्रकरण का सार इस प्रकार हैं कि अनावेदक कं. 1 की भूमि ग्राम सिकन्दराबाद प.ह.नं. 41, तहसील हुजूर जिला-भोपाल में खसरा कं. 527/1, 528, 531/1/2 कुल रकवा 2.17 हेक्टर हैं जिससे लगायत आवेदक की भूमि स्थित हैं अर्थात् आवेदक अनावेदक कं. 1 का पडौसी काश्तकार हैं अनावेदक द्वारा अपनी उक्त भूमि के सीमाकंन हेतु नायब तहसीलदार महोदय तहसील हुजूर जिला-भोपाल के समक्ष निगराधीन प्रकरण प्रस्तुत किया जिसमें आवेदक को कोई सूचना तामिली करवाये बिना तथा स्थापित विधि प्रक्रिया अपनाये बिना, पीछे-पीछे सीमाकंन की कार्यवाही किये जाने पंचनामा, फील्डबुक, प्रतिवेदन तैयार कर प्रतिवेदन में किसी तथाकथित व्यक्ति उम्मेद सिंह को सूचना देने का हवाला देकर एवं आवेदक को अनुपस्थित बताकर अधिनसथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, नायब तहसीलदार महादेय ने सरसरी तौर पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर मिलीभगत से किये गये सीमाकंन कार्यवाही के दस्तावेज को प्रमाणित करने में गंभीर वैधानिक भूल की हैं, निगरानीधीन आदेश की जानकारी आवेदक को किसी भी रीति व माध्यम से नही हुई जब आवेदक के पास बेदखली के लिये ग्राम राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी को लेकर एक काफी अंतराल के बाद मौके पर पहुॅचे तब आवेदक को यह मालूमात हुई कि पडौसी काश्तकार ने दिनांक 07.05.10 को कोई सीमाकंन कराया था आवेदक द्वारा सीमाकंन प्रकरण निकलवाने के लिये खोजवीन की तथा नायब तहसीलदार के रीडर से मिले तब रीडर महोदय द्वारा बताया गया कि सीमाकंन की फायले कमरे में रखी कुछ रिकार्ड रूप में जमा हो गई हैं जिन्हें देखकर ही बता पाऊॅगा तब आवेदक द्वारा कहा गया कि जमा दिनांक सूची नंबर दे दो क्योंकि बिना जमा दिनांक सूची नंबर के नकल शाखा में आवेदन नहीं लिया जाता, तब उन्होंने कहा कि जमा दिनांक सूची पूरी तरह

निरंतर...2...

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	आदि के हस्ताक्षर
	R 3321-PBR/15	
26.7.2017	आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई भी उपस्थित नहीं। अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से अभिभाषक श्री एम० एल० रघुवंशी उपस्थित। तीन बार पुकार लगवाई गई. फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अध्यक्ष	M L Raghuvanshi 26/7/17